राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.7.25-5 391 नेयरा) 169 दिनांक 3/5/2013

(1) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
(2) समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान

विषय :—मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत जिला औषधि भंडार गृहों (DDWs) से जिले के चिकित्सा संस्थाओं तक औषधियों/सर्जिकल्स/सूचस) के परिवहन के संबंध में दिशा—निर्देश।

संदर्भः—राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.6 ( ) आरएमएससी/लोजिस्टिक/2012/761 दिनांक 3.7.2012

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की निरन्तरता में लेख है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अन्तर्गत जिला औषधि भंडार गृहों (DDWs) से जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं तक औषधियों के परिवहन हेतु वित्तीय वर्ष 2013—14 में कार्यालय वाहनों के संचालन एवं संधारण हेतु तथा वाहनों का किराया (Hiring of vehicles) उप मदों में निम्न बजट शीर्षों में आवश्यक प्रावधान किया गया है:—

क्र.सं.	बजट मद
1.	2210—06—101—19—01 (आयोजना) मांग संख्या — 26
2.	2210—06—789—02—01 (आयोजना) मांग संख्या — 51
3.	2210—06—796—06—01 (आयोजना) मांग संख्या — 30

इस विषय में कतिपय सदर्भ इस आशय के प्राप्त होते रहते है कि किन्हीं प्रकरणों में चिकित्सा संस्थान के स्वयं के वाहन के खराब/अनुपलब्ध रहने पर औषधियों का परिवहन त्वरित गति से नहीं हो पाता है फलस्वरुप औषधियाँ जिला औषधि भंडार गृह DDW पर उपलब्ध होने पर भी संस्थाओ पर अनुपलब्ध रहती है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत कार्यालय वाहनों के संचालन एवं संधारण हेतु एवं वाहनों का किराया (Hiring of vehicles) हेतु राशि प्रावधित की है। इस प्रावधित राशि में से आपको आवंटन भी किया जा चुका है तथा आवश्यकतानुसार उक्त मदों में अतिरिक्त मांग भी की जा सकती है।

उक्तानुसार बजट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए औषधियों की रोगियों को समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु आवश्यक है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (RMSC) द्वारा जिला औषधि भंडार गृहों पर भंडारित औषधियाँ समय पर चिकित्सा संस्थाओं पर पहुँचे अतः औषधियों के किराए के वाहन (Hired vehicles) से सुगम परिवहन हेतु पुनः निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किए जाते है :—

1. संबंधित बजट शीर्षों में बजट प्रावधानुसार औषधियों के परिवहन हेतु राजकीय वाहनों एवं अनुबंधित वाहनों (Hired vehicles) का उपयोग किया जा सकता है। राजकीय वाहन के उपलब्ध न होने की स्थिति में नियमानुसार जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निविदा जारी की जाकर मापदण्ड के वाहनों का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (RTPP Act,2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (RTPP Act,2013) के अनुसार वार्षिक अनुबंध किया जा सकता है। इस हेतु प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भंडार गृह संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।
2. आवश्यकतानुसार (मासिक अथवा दैनिक आधार पर) एक मध्यम प्रकार के वाहन जैसे टाटा 407 आदि एवं एक छोटे वाहन (Tata magic, Tempo ect) का वार्षिक अनुबंध किया जा सकता है। दैनिक आधार पर अनुबंधित वाहन को आवश्यकता होने पर ही बुलाया जाएगा और तदनुसार ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगीं
3. राजकीय वाहन/अनुबंधित वाहन (Hired vehicles) से औषधियों के जिला औषधि भंडार गृहों (DDWs) से चिकित्सा संस्थाओं तक परिवहन हेतु जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व निर्धारित रुट चार्ट (Pre decided route chart) अनुसार परिवहन संपादित करें।
4. चिकित्सा संस्थाओं से प्राप्त online/offline indent के आधार पर मात्रा में जिला औषधि भंडार गृह (DDW) प्रभारी अधिकारी द्वारा यदि आवश्यक हो तो, संशोधन पश्चात औषधियों को online issue कर संबंधित चिकित्सा संस्थान के स्टोर प्रभारी/फार्मासिस्ट को संभलवाकर प्राप्ति लेने के पश्चात पैकिंग की जाएगी।

5. पैकिंग पश्चात वाहन में औषधियों की Loading करवाकर निर्धारित तिथि एवं रुट चार्ट के अनुसार वाहन संबंधित चिकित्सा संस्थाओं को औषधियों का वितरण करेगा। इस हेतु CHC/PHC/PMO/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) स्तर या प्रत्येक चिकित्सा संस्थान स्तर से अधिकृत स्टोर इन्चार्ज या फार्मासिस्ट वाहन के साथ भी जा सकते है।
6. सम्बधित चिकित्सा संस्थान को औषधियों के प्राप्त होने पर वाहन चालक को प्राप्ति रसीद मय मात्रा एवं समय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा देनी होगी।
7. चिकित्सा संस्थान पर औषधियों के पहुँचने पर Unloading करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सा संस्थान की होगी।
8. वाहन की Log book में सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ सबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी तथा तदनुसार भुगतान हेतु नियमानुसार मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
9. अनुबंध/किराये के वाहनों का उपयोग उक्त बजट मदों के अंतर्गत केवल औषधियों के परिवहन हेतु ही किया जावे अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जावे।
10. अनुबंध/किराये के वाहनों को आवश्यकतानुसार ही रखा जावे। यदि वाहन उस कार्य में नहीं आते हैं और भुगतान किया जाता है तो संबंधित की जिम्मेदारी होगी।

इन निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक, जनस्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

क्रमांक : F1 23(5)3 औ/2013/169 — दिनांक 3/5/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, निदेशक आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
3. वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,जयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक (समस्त)/विशेषाधिकारी, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय राज0
6. प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान (समस्त) (DDW)
7. नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना (मुख्यालय)
8. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
9. प्रभारी, सर्वर विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु

निदेशक, जनस्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ